<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–39/2022</u>

जगन साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
22.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 01.08.2022 के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से दिनांक 01.08.2022 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादीगण की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 01. 08..2022 में कहा गया है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद अर्जी नालिश के मद सं0–02 में दी गयी भूमि पर अपनी हकियत की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा के साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। मुकदमा दाखिल होने के पश्चात् समन जारी करने का आदेश दिया गया है। प्रतिवादीगण मुकदमा की जानकारी रखते हुये प्रस्तुत वाद में उपस्थित नही हुये बल्कि उग्र हो गये तथा वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश पर ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल करने को आमादा है। अतः प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया। वादग्रस्त भूमि का सर्वेहाल खतियान वादीगण के पूर्वज रामपति गोड के नाम पर जागीर वास्ते काम करने खिदमत में मुन्दर्ज है। आजतक वादीगण के दखल कब्जें तथा हकियत में है। प्रतिवादीगण बिल्कुल अधिकार विहिन व्यक्ति है जो अपने ताकत एवं पैसे के बल से कुछ फर्जी कागजात तैयार कराये है। जैसा कि वादीगण को मालूम हुआ है। वादपत्र में किये गये कथन तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा की तुला वादीगण के पक्ष में है। अगर वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेघाज्ञा का आदेश पारित नही किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 ता 05 की ओर से दिनांक 16.11. 2022 को वादीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकाण से	

लगातार 22.02.2023	खारिज योग्य है। वादीगण को निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि गोडाईयत की हैसियत से रामपति गोड के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को दी जा रही सेवाओं के एवज में दी गयी थी ताकि रामपति गोड अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसीलिए यह भूमि लगान मुक्त भूमि थी तथा भूतपूर्व जमींदार द्वारा कोई लगान भी नही लिया जाता था। किन्तु बाद में रामपति गोड द्वारा गोडाईयत छोड दी गयी जिसके कारण वादग्रस्त भूमि जमींदार के पास वापस चली गयी तथा जमींदार के द्वारा वादग्रस्त भूमि सहित कुल 10 कट्ठा 04 धुर भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज मंहथ एकबाल गिरी उर्फ मंहथ एकबाल दास को बंदोबस्त करके पट्टा 1355 फसली अर्थात वर्ष 1948 में दे दिया गया तब से आजतक वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के परिवार के दखल कब्जें में चली आ रही है। प्रतिवादीगणों के बीच भूमि का बंटवारा हो जाने के कारण अलग अलग चार जमांबंदियाँ यानी जमाबंदी न0–415, 416, 419 तथा 420 कायम है तथा प्रतिवादीगण सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त करते है। वादग्रस्त भूमि 1948 से आजतक शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण के दखल कब्जा में है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा की तुला नही है। अतः निषेधाज्ञा आवेदन खारिज होने से वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी। जबकि प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा की तुला है। अतः वादीगण का निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा अर्जी नालिश के मद सं0–02 में दी गयी भूमि पर अपनी हकियत की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा के साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अर्जी नालिश के मद सं0–02	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–39/2022

लगातार 22.02.2023	में दी गयी भूमि पर अपनी हकियत की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा के साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। वादीगण का कहना है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज रामपति गोड को तत्कालिन जमींदार से बएवज खिदमतदार की हैसियत से प्राप्त हुई थी। रामपति गोड को खेसरा 375 रकबा 7 कट्ठा 18 धुर भूमि तत्कालिन जमींदार के खिदमतगार होने के कारण जोत आबाद के लिए दिया गया था। जिसपर रामपति गोड का हकियत एवं कब्जा था। जमींदारी उन्मुलन के समय भी यह भूमि रामपति गोड के खास दखल कब्जें में थी लेहाजा खाता सं0–107 खेसरा सं0–375 रकबा 7 कट्ठा 18 धुर भूमि पर रामपति गोड कायमी रैयत हो गये तथा बिहार सरकार को इसका लगान रामपति गोड से लेना था लेकिन रामपति गोड के नाम से कोई लगान कायम नही हुआ तथा वरासतन वादीगण के हकियत व दखल कब्जें में वादग्रस्त भूमि पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। जबकि प्रतिवादीगणों का कहना है कि रामपति गोड के द्वारा गोडायती छोड दी गयी थी। जिसके कारण वादग्रस्त भूमि जमींदार के पास वापस चली गयी थी तथा जमींदार के द्वारा वादग्रस्त भूमि सहित 10 कट्ठा 04 धुर जमीन प्रतिवादीगण के पूर्वज मंहथ एकबाल गिरी उर्फ मंहथ एकबाल दास को बंदोबस्त करके पट्टा 1355 फसली अर्थात वर्ष 1948 में दे दिया गया तब से लगातार आजतक वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के परिवार के दखल कब्जें में चली आ रही है। जिसपर प्रतिवादीगणों की अलग अलग जमाबंदी न0–415, 416, 419 तथा 420 कायम है तथा प्रतिवादीगण सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त कर रहे है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों पक्षों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा दर्शाया गया है तथा प्रवितादीगणों के नाम वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी भी कायम है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वाद के इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वाद किस ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, निर्धारित नही किया जा सकता है। सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत नही होता है। अतः वादीगण को अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावन इस आवेदन को खारिज करने से प्रतीत नही हो रही है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 01.08.2022 को खारिज किया जाता है।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–39/2022</u>

लगातार 22.02.2023	उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 27.03.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	